कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/प्रार/शालादर्शन/सी/स्टा.पैटर्न/2018/332 दिनांक : 01-07-2019

1. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, समस्त संभाग।
2. तकनीकी निदेशक, एन.आईसी. केन्द्र, शिक्षा संकुल, जयपुर।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिला।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा, समस्त जिला।
5. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त ब्लॉक।

विषयः– प्रारम्भिक शिक्षा अन्तर्गत संचालित राप्रावि/राउप्रा विद्यालयों में शिक्षकों/शैक्षणिक कार्मिको के पदों के विद्यालयवार आवंटन (स्टाफिंग पैटर्न पुनर्निर्धारण) के संबंध में।

संदर्भः– शासन का आदेशांक कमांक प.5(8)प्राशि/2016/जयपुर दिनांक 28.5.19 तथा निदेशालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 29.5.2019.

उपरोक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देशों एवं विभागीय निर्देशानुसार प्रारम्भिक शिक्षान्तर्गत संचालित राजकीय प्राथमिक/राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सत्र 2018–19 के सत्रांत के छात्र नामाकन के आधार पर श्रेणीवार, लेवलवार एवं विषयवार पदों का पुर्ननिर्धारण एवं विद्यालय में समायोजन ऑन लाईन प्रकिया से एन.आई.सी. द्वारा किया जाकर जनरेट कर निदेशक महोदय के समसंख्यक आदेश दिनांक 29.05.2019 द्वारा गठित सत्यापन दल द्वारा परीक्षणोपरान्त शाला दर्पण पोर्टल पर लाईव कर दिया गया है। इस संबंध में आप द्वारा की जाने वाली आगामी कार्यवाही का संशोधित टाईम फ्रेम निम्नानुसार जारी किया जाता है। समयबद्ध रूप से समस्त कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें:–

दिनांक	अपेक्षित कार्यवाही
02.07.2019	एन.आई.सी. द्वारा स्टाफिंग पैटर्न शाला दर्पण पोर्टल पर लाईव करना।
02.07.2019	कार्यालय हाजा के दिनांक 03.06.2019 के पत्र में निर्देशित आवश्यक कार्यवाही की शत–प्रतिशत पालना किया जाना सुनिश्चित करना एवं पूर्व में आयोजित विभिन्न काउन्सलिंगो के सभी चरणों की शत–प्रतिशत कियान्विती किया जाना सुनिश्चित करना।
03.07.2019	ब्लॉक, जिला एवं संभाग कार्यालय स्तर से पोर्टल पर ज नरेट स्टाफिंग पैटर्न को सत्यापित कर कमशः ब्लॉक, जिला एवं संभागवार लॉक करना एवं ब्लॉक कार्यालय द्वारा स्टाफिंग पैटर्न की विद्यालयवार सूची प्रिन्ट कर जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा को प्रेषित करना एवं जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा ब्लॉकवार, विद्यालयवार सूची प्रिन्टकर संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा की अध्यक्षता में गठित संभाग स्तरीय कमेटी के अनुमोदनार्थ प्रेषित करना। समिति से अनुमोदन उपरान्त संयुक्त निदेशक

www.rajteachers.com

	स्कूल शिक्षा द्वारा संचालित जिलेवार, ब्लॉकवार, विद्यालयवार सूची प्रिंट कर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा को प्रेषित करना।
03.07.2019	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा पोर्टल पर अधिशेष कार्मिकों की शत–प्रतिशत मैपिंग करके पोर्टल से अधिशेष/अप्रदर्शित/3वी (*माध्यमिक शिक्षा में समायोजन पश्चात शेष प्रारम्भिक शिक्षा को लौटाये गये कार्मिक*) कार्मिकों की काउन्सलिंग हेतु वरीयता सूची एवं रिक्त पदों की सूची जनरेट कर प्रकाशित करना एवं वेबसाईट पर अपलोड करना।
04.07.2019	अधिशेष/अप्रदर्शित/3वी कार्मिकों की काउन्सलिंग, पोर्टल पर ऑनलाईन मैपिंग तथा मैपिंग पश्चात प्रस्तावित समायोजन/पदस्थापन आदेश जारी कर प्रकाशित करना एवं वेब साईट पर अपलोड करना।
08.07.2019 तक	जिला स्थापना समिति से अधिशेष कार्मिकों के पदस्थापन आदेशों का अनुमोदन पश्चात समायोजन/पदस्थापन आदेश जारी कर प्रकाशित करना एवं वेव साईट पर अपलोड करना।

नोटः– तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल–1 सीधी भर्ती 2018 की काउन्सलिंग अधिशेष/ अप्रदर्शित/3वी कार्मिकों की काउन्सलिंग के पश्चात ही दिनांक 04.07.2019 से 07.07.2019 तक आयोजित किया जाना सुनिश्चित करें।

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा एवं पं.राज.
(प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/प्रारं/स्टाफिंग पैटर्न/2018/ दिनांक : 01-07-2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. उपायुक्त, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि काउन्सलिंग हेतु अधिशेष शिक्षको एवं शैक्षणिक कार्मिको की सूची एवं रिक्तियां शाला दर्पण पोर्टल पर प्रदर्शित करवाने का श्रम करावें।
4. अनुभागाधिकरी, शिक्षक संस्थापन अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि आवश्यक निर्देश एवं प्रभारी मोनिटरिंग कर समस्त जिलों में अधिशेष कार्मिको की काउन्सलिंग पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करें।
5. अनुभाग अधिकारी, बजट अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि जिन शिक्षको एवं शैक्षणिक कार्मिकों के बजट हैड प्रदर्शित नही हो रहे है, आगामी दो दिवस में उनके बजट हैड की प्रविष्टि करावें।
6. रक्षित पत्रावली।

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा एवं पं.राज.
(प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान,
बीकानेर

www.rajteachers.com